



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032024-252561
CG-DL-E-02032024-252561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 140]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

सा.का.नि. 152(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, —

(i) मद 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"4क.	बेरिलियम	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट बेरिलियम धातु पर प्रभार्य बेरिलियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।";
------	----------	---

(ii) मद 5 में, "इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकॉन" शब्दों के स्थान पर, " इल्मेनाइट और रूटाइल जो टेरी या तटीय बालू में पाए जाने वाले तटीय बालू खनिजों में मिलते हैं" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“6.	कैडमियम:	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट कैडमियम धातु पर प्रभार्य कैडमियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद कैडमियम धातु पर प्रभार्य कैडमियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
	(i) प्राथमिक	
	(ii) उपोत्पाद	

(iv) मद 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“10क.	कोबाल्ट:	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट कोबाल्ट धातु पर प्रभार्य कोबाल्ट धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद कोबाल्ट धातु पर प्रभार्य कोबाल्ट धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
	(i) प्राथमिक	
	(ii) उपोत्पाद	

(v) मद 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“19क.	गैलियम:	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट गैलियम धातु पर प्रभार्य गैलियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद गैलियम धातु पर प्रभार्य गैलियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
	(i) प्राथमिक	
	(ii) उपोत्पाद	

(vi) मद 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“23क.	इंडियम	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट इंडियम धातु पर प्रभार्य इंडियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
-------	--------	---

(vii) मद 38क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“38ख.	रेनियम	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट रेनियम धातु पर प्रभार्य रेनियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
-------	--------	---

(viii) मद 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“41क.	सेलेनियम:	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट सेलेनियम धातु पर प्रभार्य सेलेनियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद सेलेनियम धातु पर प्रभार्य सेलेनियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
	(i) प्राथमिक	
	(ii) उपोत्पाद	

(ix) मद 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“47क.	टैंटालम (कोलंबाइट-टैंटालाइट से भिन्न अयस्कों से उत्पादित): (i) प्राथमिक (ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट टैंटालम धातु पर प्रभार्य टैंटालम धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद टैंटालम धातु पर प्रभार्य टैंटालम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।;
47ख.	टेल्यूरियम:	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट टेल्यूरियम धातु पर प्रभार्य टेल्यूरियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;

(x) मद 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“48क.	टाइटेनियम (टेरी या तटीय बालू में पाए जाने वाले तटीय बालू खनिजों में मिलने वाले ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकोक्सिन), इल्मेनाइट और रूटाइल से भिन्न अयस्कों से उत्पादित): (i) प्राथमिक (ii) उपोत्पाद	उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट टाइटेनियम धातु पर प्रभार्य टाइटेनियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अन्तर्विष्ट उपोत्पाद टाइटेनियम धातु पर प्रभार्य टाइटेनियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
-------	--	--

xi) मद 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: —

“49.	टंगस्टन:	आनुपातिक आधार पर अन्तर्विष्ट टंगस्टन ट्राइऑक्साइड (WO ₃) प्रति टन अयस्क पर टंगस्टन ट्राइऑक्साइड के औसत विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत”;
------	----------	--

(xii) मद 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: —

“51.	वैनेडियम: (i) प्राथमिक (ii) उपोत्पाद	आनुपातिक आधार पर अन्तर्विष्ट वैनेडियम पेंटाक्साइड प्रति टन अयस्क पर वैनेडियम पेंटाक्साइड के औसत विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत। आनुपातिक आधार पर अन्तर्विष्ट वैनेडियम पेंटाक्साइड प्रति टन अयस्क पर वैनेडियम पेंटाक्साइड के औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”;
------	--	---

(xiii) मद 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

“54क.	जिरकॉन:	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।”।
-------	---------	--

[फा. सं. एम. VI-16/47/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची सा.का.नि. 175(अ), द्वारा तारीख 31 मार्च, 1975 को संशोधित की गई और सा.का.नि. 736 (अ) द्वारा तारीख 12 अक्टूबर, 2023 को अंतिम बार संशोधित की गई।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

2. In the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957,—

(i) after item 4 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“4A.	Beryllium	Two per cent. of the average sale price of Beryllium metal chargeable on the Beryllium metal contained in the ore produced.”;
------	-----------	---

(ii) in item 5, for the words, “Ilmenite, Rutile and Zircon”, the words “Ilmenite and Rutile occurring in Beach Sand Minerals found in teri or beach sands” shall be substituted.

(iii) for item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“6.	Cadmium:	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Cadmium metal chargeable on the Cadmium metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Cadmium metal chargeable on the by-product Cadmium metal contained in the ore produced.”;

(iv) after item 10 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“10A.	Cobalt:	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Cobalt metal chargeable on the Cobalt metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Cobalt metal chargeable on the by-product Cobalt metal contained in the ore produced.”;

(v) after item 19 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“19A.	Gallium:	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Gallium metal chargeable on the Gallium metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Gallium metal chargeable on the by-product Gallium metal contained in the ore produced.”;

(vi) after item 23 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“23A.	Indium	Two per cent. of the average sale price of Indium metal chargeable on the Indium metal contained in the ore produced.”;
-------	--------	---

(vii) after item 38A and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“38B.	Rhenium	Two per cent. of the average sale price of Rhenium metal chargeable on the Rhenium metal contained in the ore produced.”;
-------	---------	---

(viii) after item 41 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“41A.	Selenium:	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Selenium metal chargeable on the Selenium metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Selenium metal chargeable on the by-product Selenium metal contained in the ore produced.”;

(ix) after item 47 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“47A.	Tantalum (produced from ores other than Columbite-tantalite):	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Tantalum metal chargeable on the Tantalum metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Tantalum metal chargeable on the by-product Tantalum metal contained in the ore produced.
47B.	Tellurium:	Two per cent. of the average sale price of Tellurium metal chargeable on the Tellurium metal contained in the ore produced.”;

(x) after item 48 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:—

“48A.	Titanium (produced from ores other than Brown Ilmenite (Leucoxene), Ilmenite and Rutile occurring in Beach Sand Minerals found in teri or beach sands):	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Titanium metal chargeable on the Titanium metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Titanium metal chargeable on the by-product Titanium metal contained in the ore produced.”;

(xi) for item 49 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“49.	Tungsten:	Three per cent. of the average sale price of Tungsten Trioxide (WO ₃) on contained WO ₃ per tonne of ore on pro rata basis”;
------	-----------	---

(xii) for item 51 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“51.	Vanadium:	
	(i) Primary	Four per cent. of the average sale price of Vanadium Pentoxide on contained V ₂ O ₅ per tonne of ore on pro rata basis.
	(ii) By-product	Two per cent. of the average sale price of Vanadium Pentoxide on contained V ₂ O ₅ per tonne of ore on pro rata basis.”;

(xiii) after item 54 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:—

“54A.	Zircon:	Two per cent. of average sale price on <i>ad valorem</i> basis.”.
-------	---------	---

[F. No. M.VI-16/47/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was amended vide G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975 and was lastly amended vide G.S.R. 736(E), dated 12th October, 2023.